FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 186/2016
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री रूपा पुत्र प्रताप माली (मृतक) जरिये विधिक वारीसान – श्री सांवर, कन्हैया, गीता, शांति, टम्मू, धापू, बदाम पिता हरदेव, सोहनी पत्नि हरदेव माली 1/3, देबीलाल, कालु, प्रेम, लाली, रामप्यारी, पिन्टु पिता राजु माली 1/3, छगनलाल, भंवरलाल, सायरी, लहरी, गीता माता नन्दु माली, लादु, बंशी, राधा पिता भोपाल 1/3, निवासीयान् कंवलियास, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा
	––प्रार्थी			––विपक्षीगण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/05/19	**:: आदेश ::** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 24/11/2012** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 18/12/2012** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 22/11/2013** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 10/12/2013 एवं दिनांक 11/12/2013** को कराया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। हितबद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा **3 G** अर्थात **3 G (1)(2)(7)** के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में संदेय रकम का अवधारण करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अध्ययधीन उनका दावा आमंत्रित करने की भी सूचना प्रकाशित अधिसूचना के साथ जारी की गई। विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हुरड़ा ने **राजस्व ग्राम कंवलियास तहसील हुरड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नं0 1877/2 किस्म गै0मु0आबादी में से 10.5 गुणा 7.5 मीटर अर्थात् 78.75 वर्गमीटर** क्षेत्र पर श्री देबी पुत्र राजु माली काबिज होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। हितबद्ध व्यक्तियो को नोटिस जारी किया जाकर भू–खण्ड़ के स्वामित्व/टाईटल के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। हितबद्व व्यक्ति द्वारा श्री गोविन्द लाल जी पुत्र दामोदार लाल जी महाराज के श्रीखास दफ्तर द्वारा जारी पट्टा श्री रूपा पुत्र प्रताप माली के नाम की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। श्री रूपा पुत्र प्रताप की मृत्यु हो जाने से गोद पुत्र की हैसियत से देबी लाल का अवाप्ताधीन भू–खण्ड़ पर काबिज होना ग्राम पंचायत कवंलियास ने भी	

जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः श्री रूपा पुत्र प्रताप माली के विधिक वारीसान के नाम प्रतिकर राशि का निर्धारण किया जाना उचित प्रतित होता हैं। पटवारी हल्का कवंलियास द्वारा दिनांक 15/03/2019 को श्री रूपा पुत्र प्रताप माली के विधिक वारीसान बाबत् तैयार किये गये मौका पर्चा अनुसार श्री सांवर, कन्हैया, गीता, शांति, टम्मू, धापू, बदाम पिता हरदेव, सोहनी पत्नि हरदेव माली, देबीलाल, कालु, प्रेम, लाली, रामप्यारी, पिन्टु पिता राजु माली, छगनलाल, भंवरलाल, सायरी, लहरी, गीता माता नन्दु माली, लादु, बंशी, राधा पिता भोपाल विधिक वारीसान हैं। भूमि मौके पर निर्माण हैं। वर्णित आराजी भू भाग में मूल्याकंनकर्ता एस्ट्रो–टेक श्री आर.एल. दरगड द्वारा श्री रूपा पुत्र प्रताप माली के पक्ष में मूल्याकंन प्रतिवेदन **55,127/– रूपये** का कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। मूल्याकंन एवं पट्टे के विधिक वारीसान को आधार स्तम्भ लिया जाकर प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, (किशनगढ–चित्तौड़गढ सेक्शन) छःलेन चौड़ाकरण/बनाने के लिए निजी खातेदारी/सरकारी भूमिओ को अवाप्त किया गया हैं। जिसका प्रतिकर निर्धारण अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के स्थान पर दिनांक 01/01/2015 से केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू **नवीन भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के अनुसार किया जाना हैं। तहसीलदरा हुरड़ा से प्राप्त डी0एल0सी0 दर को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 G (1) (2) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त दर के अनुसार अवाप्ताधीन भू–भाग का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाकर हितबद्ध व्यक्तियो को भुगतान करने का आदेश दिया जाता हैं –

क0सं0	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं0 **(ग्राम कंवलियास तहसील हुरड़ा)**	1877/2
2	अवाप्ताधीन रकबा -	78.75 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	गै0मु0आबादी
4	हितबद्ध व्यक्ति	श्री रूपा पुत्र प्रताप माली (मृतक) जरिये विधिक वारीसान – श्री सांवर, कन्हैया, गीता, शांति, टम्मू, धापू, बदाम पिता हरदेव, सोहनी पत्नि हरदेव माली 1/3, देबीलाल, कालु, प्रेम, लाली, रामप्यारी, पिन्टु पिता राजु माली 1/3, छगनलाल, भंवरलाल, सायरी, लहरी, गीता माता नन्दु माली, लादु, बंशी, राधा पिता भोपाल 1/3, निवासीयान् कंवलियास, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा
5	दिनांक 18.12.2012 को **DLC** दर (प्रति वर्गमीटर)	1,301.96– रूपये
6	दिनांक 18.12.2012 को **DLC** दर (प्रति वर्गफीट)	121– रूपये
7	**PWD** के अनुसार **ग्राम कंवलियास** की शहरी सीमा से स्थित दूरी अनुसार देय कारक	10–20 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	1,02,529– रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 10–20 किमी पर 1.50 गुणा की दर से राशि	1,53,793– रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	55,127– रूपये
11	योग **(9+10)**	2,08,920– रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 11 अंकित राशि का	2,08,920– रूपये
13	दिनांक 18.12.2012 से 14.05.2019 तक कुल 2338 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	78,809– रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+12+13)**	4,96,649– रूपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से	49,665– रूपये

मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
धिकारी (भूमि अवाप्ति),
ीलवाड़ा

प्रार्थी परियोजना निदेशक अवार्ड अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगें। अवार्ड की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक तथा संबंधित तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष मे राजस्व अधिकार अभिलेख मे अंकन किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा